for,/-new co-operative sugar-factories and OQ_ -request has been received" from the Govt? of Gujarat

(b) and (c) Do not arise.

Production of Cotton

2725. SHRI CHIMANBHAI HARIBHA1 SHUKLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the production of cotton during 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94, state-wise and staple-wise;

(b) whether Government have noticed any shortfall in the production of cotton during the above period;

(c) if so, the extent to which it has fallen short alongwith the reasons therefor; and

(d) the target set to raise the production of cotton by the end of the Eighth Five Year Plan alongwith the total area likely to be covered under cotton cultivation during the Eighth Five Year Plan period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NET AM): (a) State-wise and staple-wise production of cotton during 1990-91. 1991-92 and 1992-93 and State-wise production of cotton for 1993-94 is given in Anexure. *Sec* Appendix 172 Annexure No. 68]. Staple-wise production of cotton for the year 1993-94 is yet to be received from the States.

(b) and (c) Production of cotton during 1992-93 was a record at 115.8 lakhs bales of 170. kgs. each. During 1993-94, however, there was some decline in production of cotton which fell to 109.6 lakhs bales. The reasons for decline in production of cotton during 1993-94 may be attributed to pest attack in Punjab and flood situation in Punjab and Haryana.

(d)'The target set for the production of cotlon by the end of the Eighth Five Year Plan is 14 million bales. The Plan envisages to increase the production only through increase in productivity rather than expansion of area from the existing level of coverage under cotton at 7.5 mllion hectares.

मध्य प्रदेश को उर्वरकों का आबंटन

2726. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :**
श्री सुरेश पचौरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा चालू वर्ष के लिए मध्य प्रदेश को यूरिया, पोटाश, एम० डी० पी०, डी० ए० पी०, एम० एस० पी० आदि जैसे उर्वरकों का जिला-वार कितना आबंटन किया गया;

(ख) चालू वर्ष (1994-95) के लिए इन उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है और पिछले वर्ष यह आवश्यकता कितनी थी; और

(ग) इन उर्वरकों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) उर्वरकों का आबंटन, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है, राज्य सरकार तथा उर्वरक उद्योग की सलाह से निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर प्रत्येक फसल मौसम, अर्थात् रबी तथा खरीफ के लिए अलग-अलग किया जाता है:—

(1) पूर्व मौसम के दौरान खपत;

(2) विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र;

(3) फसल पैटर्न;

(4) उच्च पैदावार देने वाले बीजों की किस्म के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र ।

दिनांक 25-8-1992 से लागू फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के विनियंत्रण के फलस्वरूप केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों नामतः यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम अमोनियम नायट्रेट का ही आबंटन किया जाता है । दिनांक 10-6-1994 से निम्न विश्लेषण नायट्रोजनयुक्त उर्वरकों—जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के विनियंत्रण के पश्चात यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है, जो इस समय राज्यों को आबंटित किया जा रहा है । उर्वरकों की प्राक्कलित आवश्यकता, आवश्यक जिस अधिनियम आबंटन तथा मध्य प्रदेश में 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की खपत का विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान प्राक्कलित आवश्यकता, आवश्यक जिन्स अधिनियम आबंटन तथा सांविधानिक रूप से विनियंत्रित उर्वरकों की खपत

('000 हजार टन)

उर्वरकों का नाम	1993–94						1994–95				
	खरीफ			रबी			खरीफ			रबी	
	प्राक्कलित आवश्यकता	आवश्यक जिन्स अधि-नियम आबंटन	खपत (स्थापना)	प्राक्कलित आवश्यकता	आवश्यक जिन्स अधि-नियम आबंटन	खपत (स्थापना)	प्राक्कलित आवश्यकता	आवश्यक जिन्स अधि-नियम आबंटन	खपत (स्थापना)	प्राक्कलित आवश्यकता	आवश्यक जिन्स अधि-नियम आबंटन
यूरिया	510.00	522.50*	540.31	475.00	478.50*	418.15	584.00	600.82*	550.00	415.00	500.50
अमोनियम सल्फेट	8.00	8.75*	9.27	10.00	10.56*	10.50	15.00	10.00*	13.18	–	–
अमोनियम क्लोराईड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट	–	–	–	1.50	2.65*	2.22	2.50	2.75*	1.00	–	–

*राज्य की संस्थागत एजेंसियों के स्टॉक को छोड़कर ।